दैनिक जागरण
साहित्य में विचार और भाव दोनों का समावेश होता है

लापरवाही की आग

दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे एक कारखाने में लगी आग से 40 से अधिक लोगों की मौत वास्तव में नियम-कानूनों की घोर अनदेखी का नतीजा है। इस अवैध कारखाने में आग भले ही शार्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन वहां हुई मौतों का जिम्मेदार दिल्ली का प्रशासन भी है। देश की राजधानी में भी अवैध रूप से कारखाने चलना कुशासन की पराकाष्ठा ही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कारखाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो उनकी भी होनी चाहिए जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी है कि कोई फैक्ट्री नियम-कानूनों का उल्लंघन करके न चले। यह अभागी फैक्ट्री केवल चोरी-छिपे ही नहीं चलाई जा रही थी, बल्कि वहां सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं थे और वह भी तब जब वहां ज्वलनशील उत्पाद निर्मित किए जा रहे थे। वास्तव में इसी कारण इतने अधिक लोग मारे गए। इन मौतों पर अफसोस जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा करना एक तरह से कर्तव्य की इतिश्री करना ही है। इस तरह से कर्तव्य की इतिश्री अर्थात जिम्मेदारी के निर्वहन का दिखावा इसके पहले भी न जाने कितनी बार किया जा चुका है। चंद महीने पहले करोलबाग इलाके में एक होटल में आग लगने से एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। उसके पहले बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में करीब 20 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई थी। अब एक और फैक्ट्री में आग लगने से हुई व्यापक जनहानि यही बता रही है कि पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया।

हाल के वर्षों में दिल्ली में नियम-कानूनों को धता बताने अथवा सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण आग लगने की इतनी अधिक घटनाएं घट चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि राजधानी के हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे तब थे जब उपहार सिनेमाघर में लगी आग ने दर्जनों लोगों की जिंदगी लील ली थी। जब नियमों के अनुपालन के मामले में देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है तब इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि दूरदराज के इलाकों में कैसी दयनीय दशा होगी। इस दयनीय दशा के प्रमाण आए दिन मिलते भी रहते हैं। ऐसे प्रमाण भ्रष्ट नौकरशाही और साथ ही वोट बैंक की राजनीति की देन हैं। सुनियोजित विकास विरोधी इसी गंदी राजनीति के कारण अवैध बसाहट और व्यावसायिक ठिकानों का बेतरतीब जाल सारे देश में फैलता जा रहा है। यही जाल तरह-तरह के हादसों को जन्म देता है। ये हादसे केवल लोगों की जान ही नहीं लेते, बल्कि देश की बदनामी भी करते हैं। विडंबना यह कि इसके बावजूद हम विकसित देश बनने का दम भरते हैं।

लोकतंत्र की जीत

अंगुली पर गिने चुने कुछ मतदान केंद्रों को छोड़ दें तो नक्सलियों के गढ़ में भी बंपर वोटिंग होना झारखंड के लिए शुभ संकेत है। जंगल, पहाड़ों, नदी-नालों के बीच बसे गांवों से भी बड़ी संख्या में मतदाता निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के प्रति उनका यह उत्साह संकेत दे गया कि वे अपने अधिकार के प्रति न सिर्फ सजग हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रति संकल्पित भी हैं। वे विकास के पक्षधर हैं और समाज के तानाबाना को बिगाड़ने में जुटे असामाजिक तत्वों से छुटकारा चाहते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर सुदूर इलाकों के मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसने अंतिम व्यक्ति तक को मतदान के प्रति जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैनर-पोस्टर, विचार गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक समेत प्रचार के अन्य माध्यमों के जरिये उन तक पहुंचने और मतदान के महत्व से उन्हें अवगत कराने में सफलता पाई। मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपनी पंसद का उम्मीदवार चुने। इस कार्य में स्थानीय पुलिस-प्रशासन और अर्द्धसैनिक बलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने बीहड़ों में भी अमन-चैन की कमान थाम रखी थी। अलबत्ता नक्सलियों ने कुछ क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश भी की, परंतु अर्द्धसैनिक बलों की सजगता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया और मीलों पैदल चलकर भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। इससे इतर शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों से कम वोटिंग चिंतनीय है। तमाम तरह की सुविधाओं के बावजूद उनका घर से नहीं निकलना कई सवालों को जन्म देता है। जरूरत है ऐसे मतदाताओं को अपने गिरेबां में झांकने और लोकतंत्र के महत्व को समझने की। उनके मतदान करने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।

नक्सलियों ने कुछ क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश भी की, लेकिन अर्द्धसैनिक बलों की सजगता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। मतदाता मीलों पैदल चलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदान के प्रति उनका यह उत्साह संकेत दे गया कि वे अपने अधिकार के प्रति न सिर्फ सजग हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रति संकल्पित भी हैं

इतिहास पर अनुकरणीय पहल

हृदयनारायण दीक्षित

ब्रिटिश लेबर पार्टी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए औपनिवेशिक उत्पीड़न को उजागर करने की जरूरत बता रही है ताकि नई पीढ़ी उन अत्याचारों के बारे में जान सके

अवधेश राजपूत

विश्व इतिहास में तमाम गलतियां और रक्तपात हैं। बहुत कुछ श्रेष्ठ भी है। दोनों का सम्यक बोध उपयोगी है, लेकिन इतिहास लेखन में बड़ी घटनाओं की भी योजनाबद्ध उपेक्षा होती है। ब्रिटेन के इतिहास लेखन में भी ऐसा ही हुआ है। ब्रिटिश चुनाव इसी 12 दिसंबर को हैं। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद व ब्रिटिश राज के अन्याय का सही इतिहास लिखने के लिए एक शैक्षिक बोर्ड गठित करने की घोषणा की है। पार्टी घोषणा पत्र के अनुसार सत्ता में आने के बाद यही सही इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 1922 के आसपास दुनिया की 20 प्रतिशत जनसंख्या पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस दौरान भारत सहित तमाम देशों की जनता पर क्रूर अत्याचार किए थे। लेबर पार्टी की यह घोषणा ब्रिटिश श्रेष्ठतावाद पर हमला है। बहस तीखी है। ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे भारत में भी इस पर चर्चा जरूरी है। सांसद शशि थरूर सहित तमाम भारतीयों ने इसका स्वागत किया है।

ब्रिटिश राज के अन्याय और उत्पीड़न का सबसे बड़ा शिकार भारत था। गांधी जी ने 1908 में लिखा था, 'कर्जन के अनुसार भारत साम्राज्यरूपी भवन का कलश है। भारत के कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व है। इसलिए संघर्ष जरूरी है।' तब ब्रिटेन विश्व व्यापार का नियंता था। अन्य उपनिवेशों की तुलना में भारत में इंग्लैंड के माल की ज्यादा ब्रिकी थी। गांधी जी ने 1913 में लिखा था, 'भारत इंग्लैंड के माल का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत तैयार माल का 14.5 प्रतिशत खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया आठ प्रतिशत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका छह-छह प्रतिशत।' भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहां से तैयार माल भारत आता था। अंग्रेजी सत्ता की शोषण नीति भयावह थी। दो बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे सौलिसबरी ने भारत के संबंध में कहा था, 'इस देश के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर ले जाया जाता है। बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। अगर उसका खून निकालना ही है तो चीरा ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए जहां खून ज्यादा हो या कम से कम पर्याप्त मात्रा में हो। जहां वह पहले से ही कम हो ऐसी जगह नहीं।' ब्रिटेन की युवा पीढ़ी अपने पूर्वज शासकों द्वारा किए गए उत्पीड़न से भलीभांति अवगत नहीं। ऐसे में ब्रिटिश स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाने की पहल स्वागतयोग्य है।

भारत में अंग्रेजी सत्ता का इतिहास रक्तरंजित है। जलियांवाला बाग नरसंहार में निहत्थे बच्चे भी मारे गए थे। ब्रिटिश राज में 1807 तक श्रमिकों की भी खरीद फरोख्त होती थी। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान अमानवीय यातना शिविर चलाए गए थे। 1948 में ब्रिटिश सैनिकों ने मलेशिया में 24 लोगों को मारा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों लोगों का उत्पीड़न हुआ। अंग्रेजी उपनिवेशवाद का इतिहास भयावह है। ब्रिटिश चुनावों के दौरान ऐसे इतिहास को खंगालने और नई पीढ़ी को पढ़ाने की घोषणा वास्तव में साहसिक है।

भारत के लिए भी यह मार्गदर्शी है। यहां आक्रमणकारियों के अत्याचारों के तथ्यगत विवरण भी छिपाए जाते हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी उदार मानी जाती है। ब्रिटेन के उदारवादी भी अपने देश की सत्ता के अन्याय को जनता के सामने लाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन भारत के उदारवादी मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गोरी, बाबर और औरंगजेब सहित तमाम उत्पीड़कों की करतूतों पर भी पर्दा डालते हैं। भारत के उदारवादी ब्रिटिश उदारवादियों से भिन्न हैं। वे अपने अतीत की गलतियों को भी सामाजिक जागरूकता और शिक्षण की परिधि में लाने के हिमायती हैं। उनके उलट भारत में उदारवादी विदेशी हमलावरों और बादशाहों की गलतियों को ढकना ही अपना कर्तव्य मानते हैं। श्रीराम जन्मभूमि मामले में एक पक्ष ने कहा कि शासक बाबर ने गलत किया या सही, लेकिन अब हम उसकी गलती नहीं सुधार सकते।' गलती सुधारने के लिए ही इतिहास का महत्व है। इतिहास की गलती सुधारने में ही वर्तमान का भविष्य है। भारत के विकृत इतिहास में भारतीय पराक्रम की चर्चा कम है। बंकिम चंद्र ने लिखा है, 'यहां पारसियों समेत यवन, वाहलिक, शक, हूण, अरब और तुर्क सभी आए और कुछ दिनों के बाद खदेड़े गए।' भारतीय पराक्रम का यह तथ्य इतिहास का भाग नहीं है। यहां आक्रमणों का सिलसिला नहीं थमा। मोहम्मद बिन कासिम का हमला (712 ई.) फिर गजनी द्वारा 17 बार, मोहम्मद गोरी (1173 ई.), तैमूर (1398 ई.), बाबर (1526 ई.) नादिरशाह (1738 ई.) और अहमदशाह अब्दाली (1761 ई.) के हमले रक्तिम इतिहास हैं। उदारवादी इतिहास के क्रूर हमलावरों का सुंदर चित्रण करने के पक्षधर हैं।

लेबर पार्टी अपने ही पूर्वजों द्वारा किए गए उत्पीड़न पर शोध की जरूरत बता रही है। वहीं भारत में विदेशी हमलावरों के अत्याचारों पर खुली चर्चा में भी उदारपंथी बाधक हैं। अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत युद्ध हुआ। राष्ट्रभक्त मराठा लड़े। अब्दाली क्रूर था। हालिया रिलीज फिल्म पानीपत में अब्दाली के रूपचित्रण पर भी उदारवादी अनुदार हो रहे हैं कि उसका चित्रण गलत हुआ है। औरंगजेब ने मंदिरों का ध्वंस कराया। अत्याचार किए। उसकी भी तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। बाबर को महान बताने वाले भारी संख्या में हैं। उसने रामजन्म भूमि मंदिर तुड़वाया। उसने भारत भूमि की निंदा की। यहां मरना भी उसे गवारा नहीं था। डॉ. आंबेडकर ने पाकिस्तान पर लिखी अंग्रेजी किताब 'डॉ. आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज खंड-आठ में ऐसे शासकों/हमलावरों को मंदिर तोड़क व अत्याचारी बताया है, लेकिन भारत के छद्म इतिहासकार ऐसे शासकों के मानवता विरोधी वास्तविक इतिहास पर पर्दा डालते हैं।

भारतीय इतिहास का लेखन 'उपयोगितावादी दृष्टिकोण' से हुआ है। हमारे इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास परंपरा को मिथक बताते रहे हैं। वे यूरोपीय तर्ज के इतिहास लेखन को ही आदर्श बताते रहे हैं, लेकिन यूरोपीय इतिहास लेखन एकपक्षीय है। वह सत्य से परे है तभी लेबर पार्टी ने ब्रिटिश इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत बताई है। यहां भारत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ माह पहले भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत में अंग्रेजी राज के समय का इतिहास भी विकृत है। सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों के साथ भी इतिहास में न्याय नहीं हुआ। ब्रिटेन में इतिहास का पुनर्लेखन राष्ट्रीय बहस का विषय है। भारत में इतिहास के पुनर्लेखन की गंभीर बात भी भगवाकरण कही जाती है। भारत चाहता है कि अंग्रेज अपने शासन काल के उत्पीड़न पर खेद प्रकट करें। यह तभी संभव है जब ब्रिटिश इतिहास में उपनिवेशवाद की सही तस्वीर सामने आए। यहां भी मध्यकालीन हमलावरों के असल चरित्र को उजागर करने की दरकार है। बात लंदन से चली है। भारत पहुंच गई है। इससे प्रेरणा लेना अच्छा रहेगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

मातृभाषा में हो प्रारंभिक शिक्षा

प्रो. निरंजन कुमार

मातृभाषा में बच्चे कठिन विषय को भी आसानी से समझ लेते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में उन्हें मुश्किल होती है

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम की वकालत करने के बाद राज्य में एक नया विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने उन्हें तेलुगु भाषा विरोधी करार देना शुरू कर दिया है। उनका यह दांव भले ही एक राजनीतिक धींगामुश्ती में बदल जाए, लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा को लेकर एक व्यापक विमर्श अवश्य शुरू कर दिया है। जगन की ऐसी पहल के उलट कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देशवासियों से मातृभाषाओं के अधिकाधिक इस्तेमाल और उन्हें बढ़ावा देने की अपील की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मातृभाषा में शिक्षा देने की वकालत करते रहे हैं। 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के संशोधित मसौदे में भी मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अहम सिफारिशें हैं, पर मातृभाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर शिक्षा नीति तैयार वाली कस्तूरीरंगन समिति ने शायद गंभीरता से विचार नहीं किया। यह बिंदु है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का। हालांकि मातृभाषा किसे कहें, इसे लेकर एक विवाद भी है। क्या है मातृभाषा की भारतीय संकल्पना? मातृभाषा में शिक्षा क्यों जरूरी है? इस संदर्भ में शिक्षाशास्त्र के शोधों के क्या निष्कर्ष हैं? राष्ट्रहित में क्या किया जाना चाहिए?

पिछले कुछ दशकों से भारत में सरकारी स्कूली शिक्षा में काफी गिरावट आई है। दूसरी तरफ निजी स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह महानगरों को तो छोड़िए, छोटे शहरों और कस्बों तक में चौतरफा उग आए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम जहां अपने-अपने राज्यों की भाषाएं या कहें कि स्थानीय अथवा मातृभाषा हुआ करता था, वहीं अब लगभग सभी निजी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो गया है। हालांकि मातृभाषा की अवधारणा को ही लेकर कुछ विद्वान विवाद खड़ा करते हैं। वास्तव में मातृभाषा की भारतीय संकल्पना को पश्चिमी नजरिये से देखना उचित नहीं होगा। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक रवींद्रनाथ श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रयोजन की दृष्टि से मातृभाषा के दो आयाम हैं। पहले रूप में मातृभाषा का अर्थ है मां की भाषा अर्थात झूले-पालने की भाषा, जिसके द्वारा शिशु अपने भाषाई बोध एवं जीवन बोध का निर्माण करता है, लेकिन पश्चिम से अलग भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषा का एक और भी आयाम है। वह भाषा भी मातृभाषा है जो सड़क, बाजार और व्यापक सामाजिक जीवन की भाषा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार, संस्कार और जातीय इतिहास एवं परंपरा से जुड़ता है। उदाहरण के लिए अयोध्या में रहने वालों की मातृभाषा एक तरफ अवधी है तो दूसरी तरफ हिंदी भी। इसी तरह धनबाद में रहने वाले आदमी की मातृभाषा एक तरफ 'खोरठा' भाषा है तो हिंदी भी उसकी भाषा है। यही स्थिति कर्नाटक में भी देखी जा सकती है जहां एक बड़ी आबादी 'तुलु' नामक भाषा तो बोलती है, लेकिन व्यापक प्रयोजनों के लिए कन्नड़ का प्रयोग करती है। यही चीज तेलंगाना में 'लंबाडी' भाषा बोलने वालों और तेलुगु के संदर्भ में देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रादेशिक भाषाएं भी एक स्तर पर मातृभाषा का ही रूप हैं और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम भी हैं।

शिक्षाशास्त्र के विभिन्न शोध बताते हैं कि बच्चों के पूर्ण मनो-बौद्धिक विकास के लिए आरंभिक शिक्षण मातृभाषा में ही होना चाहिए। यूनेस्को ने भी जोर देकर कहा है कि आरंभिक शिक्षण मातृभाषा में होने से बोध एवं संज्ञान क्षमता बढ़ती है। छोटे बच्चों के संदर्भ में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि गणित या सामान्य चीजें भी अंग्रेजी में उन्हें नहीं समझ आतीं, जबकि वही चीज हिंदी या उनकी मातृभाषा में बताई जाए तो उनके लिए ज्यादा कठिनाई नहीं आती। शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में संप्रेषण एवं संज्ञान सहज तथा शीघ्र हो जाता है। इससे बच्चे कठिन चीजें भी आसानी से समझ लेते हैं, जबकि इतर भाषाओं में बच्चों को रटना पड़ता है, जो उनके पूर्ण मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है।

नई शिक्षा नीति मसौदे में भी मातृभाषा की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि जहां तक हो सके आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा में भी शिक्षण माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने की बात है, लेकिन ये सिफारिशें केवल एक सदिच्छा के रूप में हैं, इनको लागू करने लेकर कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रारंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए। दिल्ली में ही एक स्कूल है सरदार पटेल विद्यालय जो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से है। इस स्कूल में कक्षा पांच तक की पढ़ाई हिंदी में होती है। यहां के विद्यार्थी न सिर्फ अकादमिक ज्ञान में श्रेष्ठ और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सफल हैं, बल्कि आचरण, मूल्य और संस्कारों में भी वे एक प्रतिमान के रूप में देखे जाते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया आदि देशों की तरक्की का एक बड़ा कारण उनकी आरंभिक शिक्षा का मातृभाषा में होना भी है।

दुर्भाग्य से आजादी के बाद देश में शिक्षा का पूरा मॉडल औपनिवेशिक प्रभाव से प्रभावित शिक्षाविदों के हाथ में रहा। इन तथाकथित अभिजात्य लोगों की दृष्टि में अंग्रेजी और पश्चिमी चिंतन पद्धति ज्यादा बेहतर थी। यहां तक कि गरीबों-निम्न वर्ग की वकालत करने वाले मार्क्सवादी बुद्धिजीवी भी भारतीय भाषाओं में शिक्षण के मुद्दे पर उदासीनता या हिकारत का भाव रखते थे। 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग तक ने प्रारंभिक शिक्षण को मातृभाषा में करने की सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से मातृभाषाएं या भारतीय भाषाएं उपेक्षित ही रहीं। गांधी जी ने कहा था कि 'यदि मैं तानाशाह होता तो विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना तुरंत बंद कर देता। सभी अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते, उन्हें बर्खास्त कर देता।' समय आ गया है कि सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सभी निजी स्कूलों में भी प्रारंभिक शिक्षण मातृभाषा में अनिवार्य कर दिया जाए। एक समर्थ एवं सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए यह अपरिहार्य है। उम्मीद है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर विचार करेगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

महानता का रहस्य

शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विद्वान स्वामी रामतीर्थ के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग काफी प्रेरणादायी है। कहते हैं कि एक बार वे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के क्रम में उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक लाइन खींची और अपने शिष्यों से पूछा, 'इस रेखा को बिना स्पर्श किए हुए कौन छात्र इसे छोटा कर सकता है?' थोड़ी देर के लिए पूरी कक्षा शांत रही। प्रश्न गूढ़ था और इस कारण छात्र विस्मित थे। कुछ देर के बाद एक विद्यार्थी आगे बढ़ा और ब्लैकबोर्ड पर खींची गई रेखा के सामानांतर एक बड़ी-सी लाइन खींच दी। परिणामस्वरूप पहले वाली रेखा छोटी हो गई। इसके बड़े निहितार्थ थे।

इस उपक्रम की समाप्ति के बाद इसका सार समझाते हुए स्वामी रामतीर्थ ने अपने शिष्यों से कहा, 'जीवन में महानता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म करने की जरूरत नहीं होती है। न ही उसे अपमानित और नीचा दिखाने की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे आध्यत्मिक, चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए कि सामने वाले को खुद का कद बौना प्रतीत होने लगे। इस प्रकार से हासिल महानता सर्वश्रेष्ठ और ऐसा महान व्यक्ति कालजयी होता है।'

लेकिन दुर्भाग्यवश हम व्यावहारिक जीवन में ऐसा कर नहीं पाते हैं और जीवन की अंतिम सांस तक दूसरों के मुकाबले आगे बढ़ने की कोशिश में मन को दुखी करते रह जाते हैं। दूसरों के प्रति छल-प्रपंच, ईर्ष्या और द्वेष के जहर से खुद के जीवन की शांति का गला घोंट देते हैं। इतना ही नहीं गला-काट प्रतियोगिता के वर्तमान परिवेश में खुद को सफलता के शीर्ष पर देखने की अंधी चाह में हम पता नहीं कितनी कुत्सित योजनाएं बना बैठते हैं। मानवता के प्रति सद्भाव, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति और अन्य मानवीय गुणों के अभाव में ही हम मर्यादित आचरण की सीमा लांघ जाते हैं। खुद को निरंतर परिमार्जित करते रहने, मानव मात्र के कल्याण के भाव के साथ धैर्यपूर्वक सात्विक और संयमित जीवन के जीने में ही सच्ची महानता का रहस्य छिपा होता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

धरती को बचाने की मुहिम

शशांक द्विवेदी

उम्मीद है कि विश्व के सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन पर तेजी से काम करेंगे, क्योंकि यह एक बेहद गंभीर समस्या है

दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप-25 सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बार यह स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। इस आशय का पहला सम्मेलन 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित हुआ था। सच्चाई यह है कि पर्यावरण सीधे-सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा मसला है। दुनियाभर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी बातें हो रही हैं, परंतु वास्तविक धरातल पर उसका प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र करीब तीन दशक पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कोशिशों में जुट गया था, लेकिन कुछ देशों के रवैये के कारण उसके प्रयास अभी भी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ सके हैं। कॉप-25 संयुक्त राष्ट्र का 25वां जलवायु सम्मेलन है।

इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी देशों को उनके वादों को याद दिलाना है जिसमें उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही थी। साथ ही जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में दुनिया को आगाह करना और उससे निजात पाने के रास्ते खोजना है। संयुक्त राष्ट्र की तीन अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन, सूखा और चक्रवातों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे दुनिया के साढ़े तीन करोड़ लोगों के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। 2017 में कार्बन उत्सर्जन में चीन पहले, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर थे। इसमें चीन की हिस्सेदारी 27.2 फीसद, अमेरिका की 14.6 फीसद, भारत की 6.8 फीसद और रूस 4.7 की फीसद थी। इस तरह से दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों का था। हालांकि कार्बन उत्सर्जन को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर हुई है। भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो रहा है, बल्कि लक्ष्य पाने की दिशा में उसका काम 15 फीसद ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पिछले दो वर्षों में देश के कई इलाकों में बेमौसम बरसात और सूखे की वजह से किसान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

जाहिर है प्लास्टिक को ना कहने के साथ ही सौर, पवन जैसी वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देकर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी काबू कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा तभी कुछ हद तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कुछ कमी आ पाएगी। कुल मिलाकर पिछले कई वर्षों से जलवायु सम्मलेन एक रस्म अदायगी बन कर रह गए हैं। फिर भी कॉप-25 सम्मलेन से एक उम्मीद है कि विश्व के सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन पर तेजी से काम करेंगे, क्योंकि यह एक वैश्विक और बेहद गंभीर समस्या है।

(लेखक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं)

मेलबाक्स

बेटियों की सुरक्षा

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सही है, लेकिन उन बेटियों की सुरक्षा भी अनिवार्य है। आज बेटियां जन्म भी ले रही हैं, पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, किंतु हम उनके सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन बेटियों के साथ अपराध की खबरें सुनने को मिलती हैं। हैदराबाद की घटना के बाद उन्नाव की बेटी को जमानत पर छूटे आरोपित ने जिंदा जला दिया। आखिर न्याय की जंग लड़ रही बेटी जीवन की जंग हार ही गई। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज की पहचान कभी नहीं हो सकतीं। समाज को ऐसे कुकृत्य पर शर्मसार होना चाहिए, लेकिन समाज के लोग एक बार संज्ञान लेते हैं फिर भूल जाते हैं। पुलिस-प्रशासन भी ऐसे मामलों में जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, ढिलाई बरतते हैं। पुराने समय में बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। पति के देहांत के बाद पत्नी भी अग्नि में जल कर सती हो जाती थी। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों के अथक प्रयास से समाज में जागृति आई और इन कुरीतियों से समाज को मुक्ति मिली। महिलाओं और बेटियों को भी बराबर का सम्मान मिलने लगा। आज फिर समाज में बेटियों की सुरक्षा की मुहिम चलाना आवश्यक हो गया है। समाज को आत्मचिंतन करना होगा कि क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं। सरकार को भी कानून में बदलाव कर उसे और सख्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोई अपराधी छूट न सके। ऐसे उपाय करने जरूरी हैं, जिससे ऐसे अपराध ही न हों। इसमें अहम भूमिका शिक्षा की है। ज्यादातर ऐसे जघन्य अपराध अशिक्षित वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। जन-जन तक शिक्षा का प्रसार करना करना जरूरी है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

नागरिकता निर्धारण की कसौटी

संजय गुप्त का आलेख 'नागरिकता निर्धारण का सही तरीका' पढ़ा। अमेरिका में नागरिकता दिए जाते समय वास्प (डब्लूएएसपी-व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट) कसौटी का पालन किया जाता है। यानी वे लोग जो उत्तरी यूरोप से आने वाले श्वेत प्रोटेस्टेंट हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शेष लोगों को नागरिकता कानून के अंतर्गत 15 वर्ष निवास की अवधि पूरी करनी होती है। बाद में उनका संस्कृतीकरण यानी देशज संस्कृति में रंगने का काम किया जाता है। वास्प समुदाय अमेरिकी जीवन के साथ शीघ्र एकरूप हो जाता है। कोई समस्या पैदा नहीं करता। अतः वह वहां प्राथमिकता पाने वाला समुदाय है। इसी प्रकार भारत के मामले में वही स्थिति हिंदू एवं यहां उत्पन्न अन्य मतों-जैन, बौद्ध, सिख की है। ये सभी भारत को पुण्यभूमि मानते हैं। इससे भावात्मक संबंध महसूस करते हैं। पारसी भी 14 सौ साल से हिंदुस्तान से गहरा लगाव प्रगट करते आ रहे हैं। उनके व्यवहार से यह सिद्ध होता रहा है। ईसाई भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण शरणार्थी बनने के पात्र हैं। इसके विपरीत मुसलमानों को इस्लामी मुल्कों में किसी धार्मिक अत्याचार का शिकार नहीं बनना पड़ता है। सरकार ने जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर कोई कानून प्रस्तावित किया है।

अजय मित्तल, मेरठ

सुस्त न्याय प्रणाली

भारत एक ऐसा देश है जहां अपराधियों को भी सुधारने का मौका दिया जाता है। यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन कभी-कभी हमको यह नियम कानून के ऊपर सोचने को मजबूर कर देता है। क्योंकि इन्हीं कानून की वजह से कभी-कभी दोषियों को सही वक्त पर सजा नहीं मिल पाती है। ऐसे में सरकार को इस पर कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे न्याय प्रणाली में तेजी आ सके।

satyamrai276304@gmail.com

नारी सम्मान

नारी आधुनिकरण के दौर में हर क्षेत्र में अव्वल है, परंतु उसका बराबरी के साथ चलना कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों को